

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—08/20 (2020/00024) वादपत्र

अनवान

1. मांगु आत्मज गोकल कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लादुलाल आत्मज मांगु कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. पहलवान आत्मज मोहनलाल बड़वा निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल आत्मज मोहनलाल बड़वा निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद—

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 15.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 04.03.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के सामलाती कृषि आराजियात खाता संख्या 1 में अकित आराजियात कुल किता 4 कुल रकबा 1.47 है० भूमि में एवं खाता संख्या 334 में अकित आराजियात कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है० वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, व वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा यानि वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 14.09.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 632 रकबा 0.32 है०, आराजी संख्या 631/1 रकबा 0.59 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 है० भूमि मांगु पिता गोकल 2/3 लादुलाल पिता मांगु 1/3 कुमावत सा. थला खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 532 रकबा 0.32 है०, आराजी संख्या 532/4571 रकबा 0.15 है०, आराजी संख्या 629 रकबा 0.35 है०, आराजी संख्या 631/1 रकबा 0.21 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.91 है० भूमि पहलवान पिता मोहनलाल 1/3 गोपाल पिता मोहनलाल 2/3 बड़वा सा. देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

सहायक रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)



मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—08/20 (2020/00024) वादपत्र

**अनवान**

1. मांगु आत्मज गोकल कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लादुलाल आत्मज मांगु कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. पहलवान आत्मज मोहनलाल बड़वा निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल आत्मज मोहनलाल बड़वा निवासी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतीवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 632 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 631/1 रकबा 0.59 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 है0 भूमि मांगु पिता गोकल 2/3 लादुलाल पिता मांगु 1/3 कुमावत सा. थला खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 532 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 532/4571 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 629 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 631/1 रकबा 0.21 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.91 है0 भूमि पहलवान पिता मोहनलाल 1/3 गोपाल पिता मोहनलाल 2/3 बड़वा सा. देह खातेदार के नाम रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 15.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



*Sundar Lal Bumboda*  
15-9-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा